ज्ञान. आवाज़. लोकतंत्र.

प्रिया

सामूहिक प्रयास, सतत् अभ्यास
मातृत्व स्वास्थ्य को पंचायत के एजेंडे में लाना

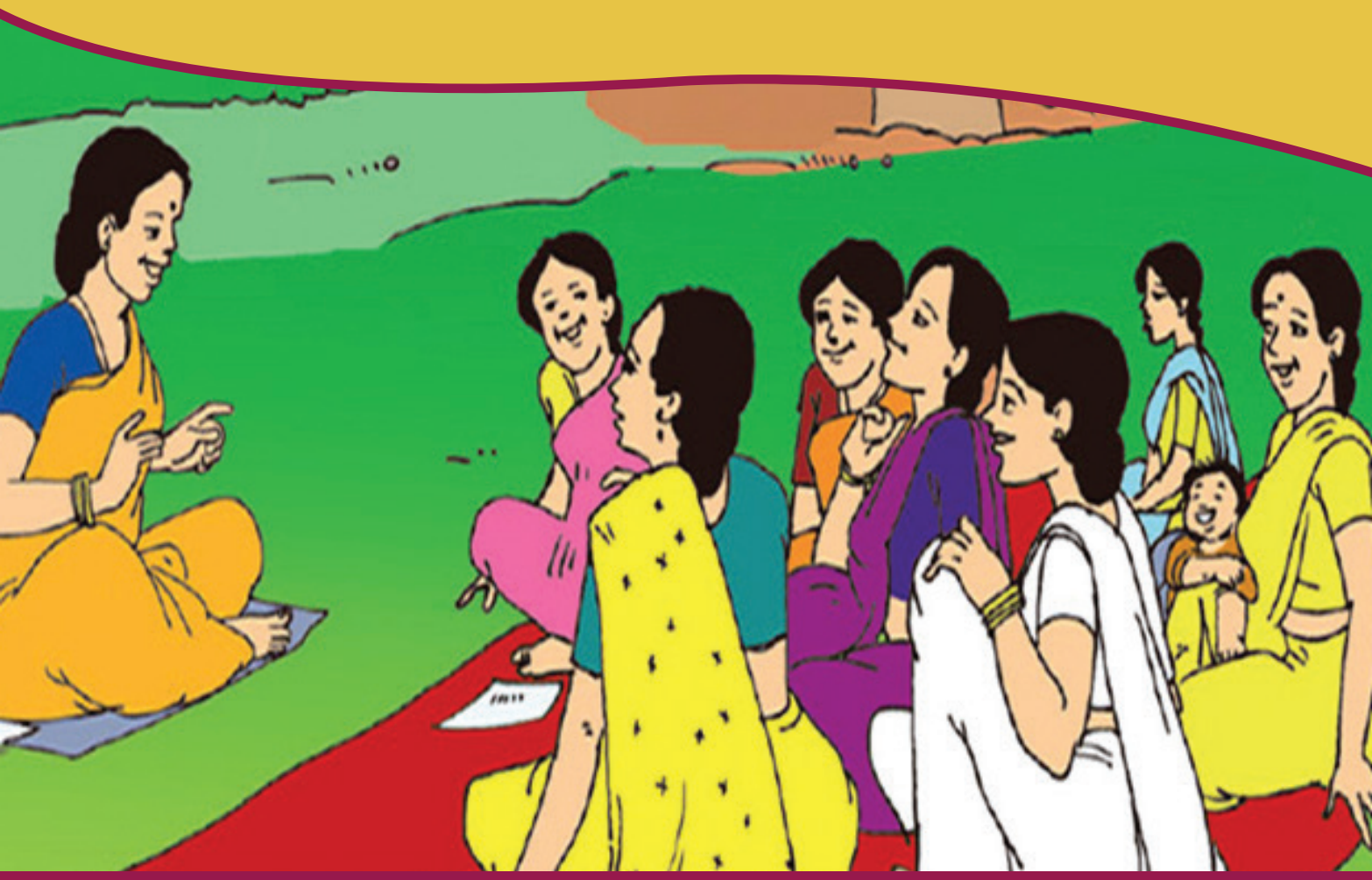

अपना स्वास्थ्य, अपनी पहल

www.pria.org pria.india PRIA_India info@pria.org

प्रस्तावना

प्रिया द्वारा क्रियान्वित **'अपना स्वास्थ्य, अपनी पहल'** एक पंचायत स्तरीय हस्तक्षेप है जिसका उद्देश्य मातृत्व स्वास्थ्य की सेवा व्यवस्था में सुधार करने के लिए स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना है। इस परियोजना में राजस्थान के तीन प्रखंडों की 104 ग्राम पंचायतों को इसके दायरे में रखा गया है जिनमें गोविन्दगढ़ (जयपुर जिला), बांसवाड़ा और तलवाड़ा (बांसवाड़ा जिला) शामिल हैं।

सभी गर्भवति तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं अपने प्रजनन के अधिकारों, मातृत्व की पात्रता तथा समुचित चिकित्सीय उपचार के अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम हों, यह सुनिश्चित करने के लिए इसमें पंचायतों को जवाबदेह तथा जिम्मेदार बनाने को प्रयास किया जा रहा है। इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू न केवल इन सेवाओं की उपलब्धता बल्कि इनकी मांगों का भी आंकलन करना है और इसके लिए महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है ताकि वे अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा सकें।

हस्तक्षेप के क्षेत्रों के अनुभव तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के तहत की प्रक्रियाओं को समझने से यह स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं को ज्यादातर मूकलाभांषी के रूप में मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं की प्राप्ति होती है। इससे आगे यह भी उजागर होता है कि किस प्रकार से महिलाएं अच्छे चिकित्सीय उपचार को मांग की शक्ल देने अथवा अपनी उपलब्ध सेवाओं से संबंधित चिंताओं को लेकर आवाज नहीं उठा पाती हैं। यही एकमात्र कारण है जिसके चलते महिलाओं द्वारा सेवाएं पहुंचाने वालों के साथ गहरा जुड़ाव बनाने और सेवाएं पहुंचाने वाली व्यवस्था में निरंतर रूप से सुधार के बावजूद मातृत्व स्वास्थ्य सेवाएं संतोषजनक नहीं है। सेवा वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह जरूरी है कि 'सक्रिय मांग' पैदा करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाए और ऐसी ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जो इन मांगों को हकीकत में तब्दील करने में मदद कर सकती हो। इसी सोच–समझ से 'अपना स्वास्थ्य, अपनी पहल' परियोजना की रणनीति तय की गई जिसमें निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल हैं :

- व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामुदायिक स्तरों पर उन विभिन्न हस्तक्षेपों को सहयोग देना जिनका उद्देश्य महिलाओं तथा सामुदायिक सदस्यों दोनों का गठबंधन बनाने तथा उनकी क्षमतावर्धन करने पर केन्द्रित है।

- पंचायतों को मजबूत करना और उन्हें प्रभावशाली विकेन्द्रित सहभागी नियोजन के जरिये मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार लाने के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाना। इसमें ग्राम सभा तथा महिला सभा को स्थानीय स्वशासन की धुरी के रूप में पुनः बहाल करना, पंचायतों की स्थाई समितियों को सक्रिय करना और काम में लगाना शामिल है और समुदाय के मातृत्व स्वास्थ्य के मुद्दों पर गठजोड़ बनाना शामिल हैं।

पिछले दो वर्षो में इस हस्तक्षेप से न केवल संतुलन और स्थिरता के तत्व शामिल हुए हैं अपितु विकास के एजेंडे में महिला स्वास्थ्य का महत्व भी रेखांकित हुआ है। इन सबके चलते 2019–20 के वित्तीय वर्ष में मातृत्व स्वास्थ्य का मुद्दा ग्राम सभा की चर्चाओं में, साथ ही सक्रिय पंचायत के ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में भी चर्चा का विषय बना।

इस दस्तावेज में प्रिया की पहले बताई गई रणनीति तथा उन विभिन्न समुदाय आधारित प्रक्रियाओं व चलनों पर चर्चा की गई है जिनसे मातृत्व स्वास्थ्य को पंचायत के एजेंडा में लाने में मदद मिली थी। इसमें एक 'विकासीय संस्थान' के रूप में पंचायतों के महत्व को रेखांकित किया गया है और इसमें उनकी इस पहचान को और मजबूती देने वाली योजना (जीपीडीपी) की व्याख्या की गई है।

तान्या दीक्षित
प्रोग्राम ऑफिसर, प्रिया

स्वशासन और मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार के बीच संबंध

इन वर्षो में मातृत्व मृत्युदर (MMR) को कम करने की दिशा में काफी प्रगति हुई है। नीति आयोग की रिपोर्ट[1] में बताई गई प्रवृत्तियों (चलनों) के अनुसार भारत में वर्ष 2004–06 के बीच MMR 254 था जो वर्ष 2014–16 में घटकर 130 हो गया। हालांकि यदि हम सतत् विकास लक्ष्य संख्या 3 को ध्यान में रखें जिसके अनुसार वर्ष 2030 तक MMR 70 (प्रति 100,000 जीवित जन्म) हो जाना चाहिए, तब पता चलता है कि भारत को इस दिशा में अभी भी काफी लम्बा सफर तय करना होगा। राजस्थान में 100,000 जीवित जन्मों में 199 MMR (2014–16) है जो दर्शाता है कि इस राज्य में मातृत्व स्वास्थ्य के प्रति मौजूदा रवैया कितना गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है।

इस भूमंडलीय स्वास्थ्य लक्ष्य को हासिल करने में पंचायत अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 243 (जी) की ग्यारहवीं अनुसूची में जिन 29 विषयों को स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित किया गया उनके लिए स्थानीय सरकारें जिम्मेदार होंगी। पंचायतों को अनुच्छेद 243(जी) में सूचीबद्ध की गई गतिविधियों के दायरे में रहकर अपनी योजनाओं का प्रारूप तैयार करना और उन्हें लागू करना होगा। एक महत्वपूर्ण सतत् विकास लक्ष्य 3 के घटकों को स्थानीय स्वरूप देने और इसे पंचायत स्तर की गतिविधियों द्वारा प्राप्त करने में पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

इन लक्ष्यों से संबंधित गतिविधियों को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में शामिल किया जा सकता है और इन पर पूरे वर्ष निगरानी रखी जा सकती है। एक समग्र और स्वप्नदर्शी जीपीडीपी ग्रामीण क्षेत्रों की कायापलट करने में निर्णायक भूमिका अदा करता है। अतः 'अपना स्वास्थ्य, अपनी पहल' परियोजना के मुख्य लक्ष्यों को हासिल करने के दौरान यह समझ आया कि मातृ स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर सबसे पहले चर्चा की जानी चाहिए और स्थानीय समुदायों के साथ सामूहिक रूप से योजना बनाकर इससी जुड़ी कमियों तथा मांगों को संबोधित किया जाना चाहिए। अगर पंचायत और इसके लोग मातृत्व स्वास्थ्य के संकेतों व सेवाओं में सुधार करने की जिम्मेदारी उठाते हैं तो यह उनके जीपीडीपी में प्रदर्शित होगा। इस दिशा–निर्देश में निम्नलिखित कदम उठाना शामिल है :

- महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दे के इर्द–गिर्द चर्चा चलाना;
- उन स्थानीय नायकों की पहचान करना जो समुदाय में परिवर्तन की प्रक्रिया चला सकते हैं जिससे इनका टिकाऊ प्रभाव सुनिश्चित हो;
- एक कार्य योजना बनाने के लिए लोगों का गठजोड़ बनाना और उन्हें संगठित करना;
- पंचायत की स्थाई समितियों की बैठकों को फैसिलिटेट करना;

[1] https://niti.gov.in/content/maternal-mortality-ratio-mmr-100000-live-birth

- प्रभावशाली ढंग से योजना बनाने के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों की क्षमतावर्धन करना;
- सफल ग्राम सभाओं तथा महिला सभाओं को फैसिलिटेट करना;
- नीतिगत कार्यवाईयों के लिए राज्य को निरंतर फीडबैक देना।

समय और अवसर तलाशनाः प्रिया के एनिमेटर (उत्प्रेरक) एक पड़ोसी क्षेत्र की महिलाओं का संगठित करते हुए

हालांकि ये कदम मातृत्व स्वास्थ्य को जीपीडीपी के एजेंडा में लाने का उपाय था लेकिन इन प्रयासों की वजह से विभिन्न समुदाय का स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा तथा शासन से संबंधित गतिविधियां भी प्रिया के हस्तक्षेप के क्षेत्र की जीपीडीपी (वित्त वर्ष 2019–20) में शामिल हुए। यह गतिविधियाँ कुछ इस प्रकार हैं :

- प्रत्येक माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल (लड़कियों तथा लड़का–लड़की के सम्मिलित स्कूल) में सेनिटरी नेपकिन इन्सिनेरेटर का प्रावधान
- बच्चों, किशोर/किशोरियों तथा गर्भवति महिलाओं के लिए समुचित पोषणता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक घर में साग–सब्जी/पोषण बाग लगाना
- महिलाओं तथा किशोरियों के लिए सार्वजनिक शौचालयों का प्रावधान
- महिला सभा तथा वार्ड सभा का आयोजन करने संबंधी जागरूकता बढ़ाना
- इस्तेमाल न किए गए उन फंड का कुशल उपयोग करने के उद्देश्य से ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करना जो कि गांव वालों के स्वास्थ्य, सफाई, जल तथा पोषण समिति (VHSWNC) के लिए आवंटित किए गए हैं।

- कन्या भ्रूण–हत्या, बाल विवाह/कम उम्र में विवाह तथा महिला विरोधी हिंसा जैसी सामाजिक बुराईयों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए जानकारी शिक्षा संचार (IEC) की गतिविधियां
- परिवार नियोजन, स्तनपान तथा टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता बढ़ाने की गतिविधियां
- आंगनवाड़ी केन्द्रों को मानीटर (निगरानी) करना जिससे सभी आवश्यक बुनियादी सुख–सुविधाओं तथा सेवाओं के प्रावधान की जाँच की जा सके
- महिलाओं और बच्चों के लिए समय–समय पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना
- सार्वजनिक क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी के कैमरे लगाना
- पोषणता, स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए समुदायिक जाँच (निगरानी) की प्रक्रियाएं विकसित करना।

ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) क्या है?

ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) एक विस्तृत वार्षिक योजना है और प्रत्येक ग्राम पंचायत को यह शासनादेश दिया गया है कि वे आर्थिक उन्नति तथा मानव विकास एवं सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए जीपीडीपी तैयार करें। इसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में विकेन्द्रित सहभागी नियोजन की प्रक्रिया को मजबूती देने के उद्देश्य से लाया गया। इससे केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयेाग तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत फंड के संमिलन तथा उपयोग में मदद मिलती है। इसकी एक सशक्त माध्यम के रूप में उत्पत्ति हुई है और इसमें स्थानीय सहभागी नियोजन को मजबूत करते हुए और पंचायतों को ज्यादा पारदर्शी और लोगों की जरूरतों के प्रति ज्यादा जवाबदेह व उत्तरदायी बनाते हुए पंचायत को गठित करने के मूल उद्देश्य को कायम रखा जाता है।

मातृत्व स्वास्थ्य जैसे मुद्दे को एजेंडा के रूप में पंचायत में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है?

नीचे के इस भाग में इस परियोजना के लिए अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोणों का सारांश तथा उन विभिन्न सामान्तर प्रक्रियाओं को पेश किया गया है :

(क) महिलाओं के मुद्दों की पहचान करना और महिलाओं को अपने शरीर से जुड़े भ्रमों और प्रतिबंधों को चुनौती देने में समर्थ करना।

उस संदर्भ में जहां महिलाओं के मुद्दों को अनुचित तथा महत्वहीन बताया जाता है वहां इन मुद्दों को चर्चा के लिए सामने लाना और बदलाव की इस प्रक्रिया से होने वाले निरादर से निपटना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि महिलाएं यह समझें कि उनके मुद्दे भी महत्वपूर्ण है। दूसरा इन महिलाओं का क्षमतावर्धन करना भी जरूरी है जिससे वे अपनी चिंताओं को साबित कर सकें और अपने अधिकारों की मांग कर सकें।

इस संदर्भ में निम्न लिखित कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये गये :

1) **उन मुख्य सामाजिक हितधारकों का मानचित्र बनाना जो इस पूरी प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकते हैं** : इसके अन्तर्गत जमीनी कार्यकर्ता आते हैं जो महिलाओं के साथ संपर्क स्थापित करने और महिलाओं का गठजोड़ बनाने में सहयोग कर सकते हैं। इन जमीनी कार्यकताओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), सहायक नर्स–दाई (ANM) शामिल हैं। इनके काम की प्रकृति के चलते ये कार्यकर्ता महिलाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच के कड़ी बन गए हैं। बीते समय में उन्होंने उनके बीच अपना विश्वास कायम किया है और ये इस समुदाय की महिलाओं के साथ अपनी चर्चा जारी रखे हुए हैं। उनकी न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर विशेष अंतरदृष्टि बनी है बल्कि चूंकि वे इस व्यवस्था का आंतरिक हिस्सा हैं इसलिए वे इन मांगों को उठाने में भी उनकी सहायता कर सकते हैं।

xHkorh vkj Lruiku djku okyh efgykvk rd ekr LokLF; lokvk dh igp cuku d fy, vkxuokMh dk;drk ‘kiFk yr g;

2. **महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल पैदा करना:** कोई वार्तालाप शुरू करने के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि सुरक्षित वातावरण का निर्माण किया जाए ताकि यह वार्तालाप रचनात्मक हो सके और जो लंबे समय तक कायम रहे। यह महिलाओं के स्वास्थ्य के संदर्भ में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह धारणा बनी हुई है कि यह 'व्यक्तिगत' है और इससे जुड़ी समस्याओं का खुले रूप से वर्णन एवं आदान–प्रदान नही किया जा सकता है। महिलाओं को किसी संवाद में शामिल करने के लिए निम्नलिखित मंचों का उपयोग किया गया :

- **मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य एवं पोषणता दिवस (एमसीएचएन दिवस):** हस्तक्षेप के क्षेत्रों में बृहस्पतिवार को एमसीएचएन दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। इसका निर्देश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत दिया गया, इस उद्देश्य के साथ कि इससे प्रसव पूर्व देखभाल (ANC) की व्याप्ति और नए जन्मे बच्चे की चिकित्सा संबंधी देखभाल सुनिश्चित होगी। इसके तहत सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में निःशुल्क नियमित जाँच, परामर्श तथा टीकाकरण की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हर बृहस्पतिवार को गर्भवति तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं अपने निकटतम केन्द्रों में जाएंगी जिससे वे सेवाएं प्राप्त कर सकें और सभी जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ परामर्श कर सकें। NCHN दिवस के दिन तीनों ज़मीनी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी केन्द्र में मौजूद होते हैं। अतः महिलाओं तथा ज़मीनी कार्यकर्ताओं, दोनों के साथ जुड़ने के लिए प्रिया टीम ने हर बृहस्पतिवार को प्रत्येक आंगनवाड़ी में साप्ताहिक बैठक का आयोजन करने का कदम उठाया।

एम.सी.एच.एन. के दिन नियमित जांच के बाद आंगनवाड़ी केंद्र में महिलाओं के साथ बात करती हुये एफ.एल.डब्ल्यूस.

efgyk leg u gky gh e viu bykd e ekr eR;q d ,d ekey d ckn dkjokbZ d ckj e vkil e ppkZ dh

शुरूआत में प्रिया द्वारा इन बैठकों को फैसिलिटेट किया जाता था लेकिन अंततः जमीनी कार्यकर्ताओं ने ज्यादा सक्रिय ढंग से रूचि लेते हुए इन बैठकों का कार्यभार संभाला। इनकी बैठकों के दौरान जिन विषयों पर चर्चा होती रही उनमें मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य, गर्भवति तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पोषण से लेकर सुरक्षित यौन संबंध और गर्भपात शामिल थे। इन बैठकों के दौरान महिलाओं ने गर्भधारण तथा बच्चे के जन्म पर अपने स्वयं के अनुभवों से निकली कहानियों–किस्सों का आदान–प्रदान किया और उन्होंने अपने स्वयं के शरीर से संबंधित सवाल भी पूछे।

इन बैठकों से प्रिया तथा जमीनी कार्यकर्ताओं को उन महिलाओं की पहचान करने और उनका पता लगाने में भी मदद मिली जो गर्भधारण के दौरान प्रसव पूर्व जांच (ANC) कराने से चूक रही हैं, घर के जोखिमपूर्ण कामों में लगी हुई हैं और समुचित पोषण नहीं ले पा रही हैं। इन मामलों में महिलाओं के साथ व्यक्तिगत बैठकों व चर्चाओं का आयोजन किया गया जिससे ऐसे आचरण के कारणों को समझा जा सके और उनमें सुधार के क्या संभावित उपाय किए जा सकते हैं, उन्हें भी जाना जा सके।

- **महिलाओं के परिचर्चा और कार्यवाही समूह** : हस्तक्षेप क्षेत्रों में, 'अपना स्वास्थ्य, अपनी पहल' टीम ने 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के वार्ड और ग्राम स्तरीय समूहों के गठन में सहायता की। उनका गठन एफएलडब्ल्यू ज़मीनी कार्यकर्ताओं की मदद से किया गया जिन्होंने अपने क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं की पहचान करने में मदद की। MCHN दिवस पर आयोजित बैठकों के अतिरिक्त ये समूह नियमित रूप से नहीं मिलते हैं थे। हालांकि, वे महिलाओं के लिए एक समर्थन तंत्र के रूप में उभरे हैं जहां वे अपनी चिंताओं पर चर्चा कर सकते हैं और सलाह और मदद मांग सकते हैं।

समूह तथा व्यक्तिगत स्तर पर मेलजोल करने की प्रक्रिया प्रिया के हस्तक्षेपों से पहले कभी नहीं चलाई गई। इससे न केवल इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली बल्कि उनकी चेतना जगाने में भी यह काफी सहायक सिद्ध हुआ। इसका एक परिणाम यह निकला कि इससे महिलाओं को संभावित सुधार के उपायों का खाका खींचने और अपने मंचों को खड़ा करने में भी मदद मिल रही है जहां वे अपनी मांगों को बुलंद कर सकती हैं। इन चर्चाओं की प्रकृति भी राजनीतिक थी। महिलाओं ने यह समझा और निष्कर्ष निकाला कि किस प्रकार से वे ग्राम सभा के सदस्यों के रूप में अपने स्वयं के विकास के लिए ग्राम पंचायतों को चुनौती दे सकते हैं और उनके साथ काम कर सकते हैं। महिलाओं का निष्क्रिय लाभांशी बने रहने से लेकर अपनी हकदारी हासिल करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के बीच का बदलाव इन्हीं सब प्रयासों से आया और आगे इसका विस्तार हुआ।

सहयोगी व्यवस्था : महिलाओं का आपसी समर्थन

फील्ड विजिट के दौरान, नारायणी (बांसवाड़ा में स्थित प्रिया की एनिमेटर) ने काली रजनी से मुलाकात की

नियमित रूप से घर–घर भ्रमण करने के दौरान, नारायणी (प्रिया की एक उत्प्रेरक जो बांसवाड़ा में कार्यरत हैं) काली रजनी से मिली। उस समय रजनी शारीरिक रूप से काफी कमजोर थी और जब वह कोई काम करती थी तो उसे चक्कर आने लगते थे। तुरंत ही नारायणी ने अनुमान लगाया कि ये लक्षण तो अनेमिया (खून की कमी) के हैं (जो कि भारतीय महिलाओं के मामले में एक सामान्य बात है और जो भारत में मातृत्व मृत्यु का एक बड़ा कारण होता है।) चर्चा करने पर यह भी पता चला कि वह दो बार बच्चे को जन्म देने और तीसरी बार गर्भवति होने के बावजूद उसे जज्जा–बच्चा देख रेख के बारे में कुछ नहीं पता था। तीन बार गर्भवति होने पर भी उसके गर्भधारण को पंजीकृत नहीं किया गया जिसके कारण वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत दी जाने वाली मातृत्व स्वास्थ्य की किसी भी सेवा से लाभान्वित नहीं हो सकी।

नारायणी ने रजनी को इस वादे के साथ अपना पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया कि वह रजनी और उसके बच्चे की मदद करने के लिए जो कुछ भी कर सकती है वह करेगी। एएनएम, आशा तथा पंचायत के स्वास्थ्य कर्मियों की मदद से वह उसके लिए जल्द से जल्द ममता कार्ड बनावाएगी। कुछ दिनों बाद, रजनी को वे सभी सेवाएं प्राप्त हुई जिनके लिए उसने पंजीकरण कराया था और इस प्रकार से उसने सुरक्षित ढंग से बच्चे को जन्म दिया।

पूरी कहानी के लिए कृपया निम्नलिखित साइट को देखें :
https://pria.org//featuredstory-an-efforts-towards-safe-motherhood-rajni-s-story-44-207>

महिलाओं के गठजोड़ के लिए मौजूदा मंचों का उपयोग करना

बांसवाड़ा और तलवाड़ा ब्लॉकों में स्थित प्रिया की टीम महिलाओं को संगठित करने के एक उपाय के रूप में जिला प्रशासन द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की बैठकों का भी उपयोग करती हैं। इनमें ऐसा एक कार्यक्रम है 'पुकार'। यह बांसवाड़ा जिला प्रशासन की एक शुरूआती पहल है जिसका ध्येय समुदाय में स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य आरचरण और व्यवहार के बारे में जागरूकतावर्धन करना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक बुधवार को साप्ताहिक बैठकों का आयोजन किया जाता है जिसमें महिलाएं मुख्य सहभागी के रूप में अपनी सहभागिता निभाती हैं। प्रिया टीम इन बैठकों के आयोजन में प्रशानिक सहयोग करती है। इन बैठकों का उपयोग जिला प्रशासन के समक्ष मातृत्व स्वास्थ्य के मुद्दे को एक प्रशासनिक एजेंडा के रूप में उठाने और महिलाओं को संगठित करने में किया जाता है। इसी उद्देश्य से, प्रिया ने बांसवाड़ा के उन स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ मिलकर काम किया जिन्हें राजस्थान राज्य आजीविका मिशन कार्यक्रम के तहत सहयोग प्राप्त हो रहा है।

पहले से ही मौजूद इन मंचों पर काम करना प्रिया टीम के लिए फायदेमंद रहा क्योंकि इससे उनका महिलाओं को संगठित करने में लगने वाला समय बचा। इन बैठकों से प्रिया जिला प्रशासन और समुदाय दोनों के बीच अपनी अच्छी छवि बना पाने में सक्षम हुआ। इसके अतिरिक्त इससे बहुत सारे स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं तथा बदलाव लाने वाले प्रतिनिधि की भी पहचान की गई जो जागरूक होने के साथ–साथ सक्रिय भी हैं।

'पुकार' की एक बैठक में महिलाओं को संबोधित करते हुये प्रिया बांसवाड़ा की सदस्य

राजनीतिक चेतना जगाती हुई महिलाएं: एक कदम सशक्तिकरण की ओर

प्रिया के ताजो परिवार के सदस्य 2 अक्टूबर की ग्राम सभा से पहले रैली निकालते हुए जिसका उद्देश्य समुदाय को ग्राम सभा के महत्व के बारे में जागरूक करना था

बांसवाड़ा और तलवाड़ा के कुछ ग्राम पंचायतों में प्रिया के सहयोग से महिलाएं एक विशिष्ठ समूह में स्वयं संगठित हुईं। इस समूह को 'प्रिया ताजो परिवार' (पीटीपी) के नाम से पुकार जाता है।

बांसवाड़ा की स्थानीय 'बांगड़ी' भाषा में 'ताजो' का शाब्दिक अर्थ है 'स्वस्थ'। एक संघ के रूप में पीटीपी का उद्देश्य जेंडर और स्वशासन के मुद्दों पर चर्चा करना और कार्यवाई करना है। इस पीटीपी में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की 15–20 महिलाएं हैं। इसमें काफी संख्या में गर्भवति तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं शामिल हैं जो मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं–जिनकी वे हकदार भी हैं–के बारे में सीखती हैं और उन पर अपने फीडबैक भी देती हैं।

निम्नलिखित दो परिकल्पनाओं से इसकी अवधारणा की गई :

- महिलाओं के लिए एक ऐसा सुरक्षित स्थान बनाना जहां महिलाएं अपने स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा शुरू कर सकें।
- महिलाओं को संगठित करना ताकि वे ग्राम सभाओं में अपनी हकदारी तथा समुचित स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर सकें।

स्थानीय महिलाओं के इन छोटे–छोटे संघों से परियोजना के लक्ष्यों को बनाए रखने और इसकी चिरंतरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। पीटीपी बिल्कुल नई पहल साबित हुई है जो समुदाय मे से जिम्मेदार महिलाओं को तैयार करती है जिससे वे अपने ग्राम पंचायत में मातृत्व स्वास्थ्य की मौजूदा स्थिति में बदलाव ला सकें। अब तक बांसवाड़ा के 18 पंचायतों में ऐसे 18 समूहों का गठन किया जा चुका है जिसमें कुल 300 महिलाओं ने अपनी सहभागिता निभाई है।

ख) स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को संगठित करना : समुदाय से सहयोग जुटाना

'अपना स्वास्थ्य, अपनी पहल' परियोजना के मुख्य कामों में ग्राम पंचायतों के विकासीय एजेंडा का प्रसार करना और समुदाय के सदस्यों को संगठित करके ग्राम पंचायतों को अधिक जवाबदेह बनाना शामिल है।

हालांकि इस दिशा में पहला कदम लोगों को महिलाओं के मुद्दों को समझाना और उनमें इन मुद्दों की मान्यता स्थापित करना है। इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रिया ने समुदाय आधारित स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को संगठित करने पर विचार किया जिससे स्थानीय सरकार पर सामूहिक रूप से दबाव डाला जा सके, साथ ही पंचायत के कार्यो की निगरानी की जा सके। एएसपी के स्वैच्छिक समूहोंको निम्नलिखित दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

- **किशोर–किशारी और युवा** : जो हस्तक्षेप के क्षेत्रों में या तो पढ़ाई अथवा कार्य कर रहे हैं और जिनमें समाज के लिए काम करने की लगन है। इन्होंने अपने साथियों (पीयर्स) तथा परिवार के सदस्यों को भी संगठित करने में मदद की। चूँकि उनमें अधिकांश ग्राम सभा के सदस्य थे इसलिए वे पंचायत के सदस्यों पर काफी हद तक दबाव डालने का जरिया भी बनें।

- **पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के पूर्व–सदस्य और सेवानिवृत सरकारी अध्यापक** जिन्हें इस क्षेत्र का अनुभव है और साथ ही मौजूदा पंचायत के सदस्यों के साथ काफी घनिष्ठ रिश्ता भी है। उन्होंने पंचायत में समुदाय की मांगों को बार–बार उठाने में मदद की है। उनके अनुभव तथा सामुदायिक गतिविधियों में उनकी सक्रिय भूमिका बनी होने के कारण वे लोगों को काफी प्रभावित करने में सक्षम हुए।

LofPNd dk;ldrkvk dh cBd % lfØ; dk;ldrk xke lHkk dk ,d tV dju dh j.kuhfr r;kj djr g,

एक बार स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की पहचान और उनका नामांकन हो जाने के बाद उन्हें प्रिया द्वारा फैसिलिटेट किए जाने वाले विभिन्न चरणों के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं से गुजारा जाता है। ये कार्यक्रम उनकी क्षमतावर्धन करने और उनके ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं जो अन्य समुदायिक सदस्यों तथा पंचायतों के साथ मिलकर कार्य करने में उनकी मदद करेंगे। स्वशासन तथा स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर आयोजित इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को समुदाय को एकजुट करने की विभिन्न पद्धतियाँ सीखने में भी मदद मिली।

वर्तमान में, 'अपना स्वास्थ्य, अपनी पहल' परियोजना में 200 से ज्यादा स्वैच्छिक कार्यकर्ता हैं जो फील्ड में मुख्य टीम के सहयोग के लिए काम कर रहे हैं और समुदाय को महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दों पर एकजुट करने और ग्राम सभा/महिला सभा जैसे स्थानीय शासन व्यवस्था को मजबूत करने में निरंतर रूप से सहयोग पहुंचा रहें हैं।

स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रशिक्षण के दौरान आपसी आदान–प्रदान

शुरूआत में मैं उत्प्रेरक के रूप में प्रिया की गोविन्दगढ़ टीम के साथ 6 महीने तक जुड़ी रही। मैंने महिलाओं की बैठकों को फैसिलिटेट करने, कार्यशालाओं का संचालन करने तथा ज़मीनी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने और एएनसी व प्रतिरक्षण की अहमियत पर जागरूकता बढ़ाने में अपना सहयोग दिया। लेकिन खुद गर्भवती होने के कारण मुझे फील्ड के काम को छोड़ना पड़ा। मैंने इस काम तथा इस परियोजना के उपयोग में लाई गई समुदायिक जुड़ाव की पद्धतियों का पूरा आनन्द लिया; इससे मुझे काफी कुछ सीखने में मदद मिली। एक मध्यांतर के बाद अब मैं एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता के रूप में प्रिया के साथ जुड़ गई हूँ और मैं इस ब्लॉक की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में अपना योगदान देना चाहती हूँ।

– ममता मीणा, स्वैच्छिक कार्यकर्ता (गोविन्दगढ़)

''मैं गुडलिया ग्राम पंचायत के लिए ई मित्र एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं ऐसे काम की तलाश में था जो मुझे समुदाय के साथ जोड़े रखे। चूँकि मैं पंचायत कार्यालय का हिस्सा हूँ, मैं उन लोगों से सुना करता था जो अपनी चिंताओं के समाधान की तलाश में रोजाना पंचायत का भ्रमण किया करते थे। मैं उनकी मदद करना चाहता था लेकिन मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था। मैं रेखाजी (प्रिया की उत्प्रेरक) से तब मिला जब वे सरपंच से मिलने के लिए पंचायत के कार्यालय में आईं हुई थीं और मैं उनके विचारों और प्रिया के काम से काफी प्रभावित हुआ। मैं उनकी सहायता से प्रिया में एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ गया।

इन दो वर्षो में मेरी मातृत्व तथा प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य व महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के महत्व पर समझ बनी और ज्ञानवर्धन हुआ। मैं अन्य समुदाय के सदस्यों को प्रिया के उद्देश्य के साथ जुड़कर काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ।''

– सरज्ञान मीणा, स्वैच्छिक कार्यकर्ता (गोविन्दगढ़)

ग) मातृत्व स्वास्थ्य के मुद्दे पर सामूहिक रूप से चर्चा करने के लिए स्थानीय स्तर की विविध समितियों का लाभ उठाना

एक जो प्रक्रिया महिला को एकजुट करने के साथ–साथ चलाई गई वह प्रक्रिया थी एक ऐसे औपचारिक मंच की तलाश करना जहां मुद्दों को उठाया जा सके और उस पर भावी कार्य योजना बनाई जा सके। इसी उद्देश्य से ग्राम पंचायत के स्तर पर सामाजिक न्याय समिति (SJC) और ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता जल तथा पोषण समिति (VHSWNC) की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। इन दोनों समितियों, इनके लक्ष्यों तथा जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए हस्तक्षेप के क्षेत्रों में इन्हें परियोजना के साथ जोड़ना निम्नलिखित कारणों से बेहद जरूरी साबित हुआ है :

- इन समितियों के सिद्धांत, उद्देश्य तथा सदस्यता की वजह से ये समितियां एक ऐसा मंच खड़ा करती हैं जहां महिलाएं आगे आकर अपनी–अपनी चिंताओं को रख सकती हैं। एसजेसी के प्रयास से यह सुनिश्चित होता है कि महिलाओं की आवाज को सुना जा रहा है और चूंकि प्रजनन स्वास्थ्य वीएचएसडब्ल्यूएनसी के दायरे में आता है अतः चर्चा के लिए इन मंचों से जुड़ना काफी फायदेमंद होता है।
- चूंकि VHSWNC की 50 प्रतिशत सदस्यता में महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता तथा एएनएम इसके नियमित सदस्यों में से हैं अतः पंचायत में मातृत्व स्वास्थ्य और इसकी स्थिति के इर्द–गिर्द चर्चा करना आसान हो जाता है। तीनों जमीनी कार्यकर्त्ता इसका एक खुले अवसर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और फीडबैक के आधार पर अपनी सेवाओं में सुधार कर सकते हैं।
- इन समितियों के सदस्यों में सरपंच और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के होने के कारण, MHC में सुधार के लिए होने वाली गतिविधियों के बारे में विचार विमर्श और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी से स्थानीय निकायों का स्वामित्व बढेगा।
- चूँकि ये दोनों ही समितियां पंचायत की परिधि में आते हैं, अतः इनके जुड़ाव और गठबंधन से स्थानीय प्रतिनिधियों पर जवाबदेही बढ़ेगी तथा सक्रिय कार्यवाई करने का दबाव बनाने में मदद मिलेगी।

इस संयुक्त मंच की उपयोतिगा को समझते हुए प्रिया टीम ने इन बैठको ंके सफल संचालन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए :

1. फील्ड टीम के सदस्यों ने ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया जिससे पता चल सके कि ये समितियां कितनी सक्रिय हैं और इस समुदाय के सदस्य तथा उनके स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि इन समितियों की मौजूदगी से अवगत हैं भी या नहीं। आगे जाँच करने पर यह स्पष्ट हो गया कि हस्तक्षेप के दोनों क्षेत्रों में ये समितियां सिर्फ कागजों में ही मौजूद हैं। यह दोनों समितियां निष्क्रिय थी और इनके किसी भी मुख्य सदस्य को इन समितियों की मौजूदगी और साथ ही उनकी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस प्रकार, हमारा सबसे महत्वपूर्ण कदम एसजेसी और VHSWNC को सक्रिय करना था। इसे सघन रूप से गठबंधन बनाने के अभियान के जरिए किया गया जिसके लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा सहयोग दिया।
2. गठजोड़ बनाने के चरण में, उत्प्रेरकों तथा स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम अधिकारियों के मार्गदर्शन से पंचायत के पदाधिकारियों, इस समिति के मुख्य सदस्यों, समुदाय के लोगों तथा जमीनी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के यहां भ्रमण किया और उनके साथ एसजेसी तथा VHSWNC के कार्यों तथा महत्व

पर चर्चा की। उन्होंने समझाया कि किस प्रकार से इन दोनों समितियों की नियमित बैठकों से ग्राम पंचायत में सामाजिक विकास पर चर्चा शुरू होगी।

3. इन समितियों की बैठक इस लक्ष्य से प्रयोजित की जा रही थी जिससे कि मातृ स्वास्थ्य पर ग्राम सभा में चर्चा हो सके एवं GPDP में मातृ स्वास्थ्य संबंधि मुद्दों को जोड़ा जा सके। लेकिन इन समितियों की निष्क्रिय स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह समझा गया कि किसी खास दृश्टिकोण से आयोजित यह बैठक विफल हो सकती है। अतः इस रणनीति में संशोधन करके इसमें स्वास्थ्य, आरोग्य, स्वच्छता तथा कल्याण से जुड़े मुद्दों को शामिल किया गया। इसके अलावा, बैठकें आयोजित करने से पहले ब्लॉक स्तर पर दोनों पंचायती राज तथा समेकित बाल विकास सेवाओं के अधिकारियों से विमर्श किया गया और उन्होंने इसमें अपना आवश्यक सहयोग दिया।
4. चर्चा के सूचकों को व्यापक करने तथा बैठकों को अपना समय लेने का अवसर दिया गया जिससे किसी भी मुद्दे पर खुलकर चर्चा करने का अवसार और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि इन दोनों समितियों को ग्राम पंचायत के विकास की बुनियाद के रूप में मान्यता दी जाए और उनकी बैठकों को नियमित किया जाए।

पहले वर्ष के हस्तक्षेप के दौरान प्रिया की टीम ने स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की मदद से इन बैठकों को क्रियान्वित किया। हालांकि, वर्तमान में ज़मीनी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक सदस्यों ने नियमित रूप से इन संयुक्त बैठकों को आयोजित करने की पहल की है। इस स्वामित्व और सहभागिता से महिलाओं की मांगों के एक चार्टर के रूप में 'स्वास्थ्य योजना का प्रारूप' तैयार हुआ जिसे ग्राम सभा में पेश किया गया। उपरोक्त में बताई गई इन गतिविधियों (पृष्ठ संख्या 6–7) को वर्ष 2019–20 के GPDP में शामिल कर दिया गया है जो कि इन सुयंक्त बैठकों की चर्चाओं में उठाए गए थे। ये बैठकें हितधाराको को अपने साथ जोड़ने, सरोकारों का अनुकूलन करने, महिलाओं को सार्वजनिक मंच पर बोलने के लिए प्रोत्साहित करने और महिलाओं के समुचित स्वास्थ्य की देखरेख को सुनिश्चित करने संबंधी गतिविधियों पर केन्द्रित थीं।

समितियां : एक नजर में

सामाजिक न्याय समिति (SJC) उन पाँच स्थाई समितियों में से एक है जिसे पंचायत स्तर पर गठित करना अनिवार्य है जिससे आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हितैशियों और समाज में सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों, खासकर अनु. जातियों/अनु. जनजातियों, महिलाओं तथा अन्य सीमांतक समूहों का उत्थान व उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस समिति–जिसका सरपंच पदेन सदस्य व अध्यक्ष होता है–का लक्ष्य उपेक्षित तबकों की स्थिति को समझना तथा उसमें सुधार करना और उनके लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है।

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता जल तथा पोषण समिति (VHSWNC) को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लाया गया जिन्हें ग्राम पंचायत के प्रत्येक राजस्व गांव के स्तर पर स्थापित किया जाना है। इसका ध्येय जन–स्वास्थ्य से संबंधित हर पहलू पर कार्य करना एवं स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न खतरों को दूर करना है। मार्गदर्शिका के अनुसार, यह समिति पंचायत की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (सरपंच अथवा वार्ड पंच) के द्वारा संचालित होनी चाहिए। आशा कार्यकर्ता इसकी सचिव एवं संयोजक के रूप में नियुक्त की जाती है। अन्य निर्वाचित सदस्यों के प्रतिनिधियों को कुल सदस्यों के 1/3 तक सीमित रखना होगा।

घ) महिलाओं के मुद्दों को पंचायत के मुद्दे के रूप में स्थापित करना : ग्राम सभा आयोजित करने में सहयोग

उपरोक्त में बताई चर्चाओं से उभर कर सामने आयीं मांगों और चिंताओं को एक उचित मंच तक ले जाने की जरूरत है जिससे पंचायत उन पर कार्यवाई कर सके। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था के तहत ग्राम सभा सबसे ज्यादा सशक्त मंच है और सबसे उपयोगी माध्यम GPDP है।

लेकिन काफी समय से ग्राम सभाओं में लोगों का रुझान कम हुआ है और परियोजनाएं गैर–सहभागी तरीके से तैयार की जा रही हैं। उससे कुछ वर्षो में पंचायत की अहमियत और अखंडता कम हुई है। यह समझ कि ग्राम सभा तथा जीपीडीपी स्थानीय स्वशासन की आधारशिला है, इस परियोजना के तहत निरंतर रूप से लोगों, खासकर महिलाओं व किशोर–किशोरियों की 4 अनिवार्य ग्राम सभाओं में सहभागिता बढ़ाने के लिए उन्हें एकजुट करने के निरंतर प्रयास किए गये हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल है :

- ग्राम सभा के 4 सप्ताह पूर्व प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के सदस्यों का सघन रूप से गठजोड़ बनाना। समुदाय आधारित स्वैच्छिक कार्यकर्ता पूरे ब्लॉक में इन प्रक्रियाओं को चलाने के माध्यम रहे हैं।
- स्थानीय प्रतिनिधियों–सरपंच, वार्ड पंच, ग्राम विकास अधिकारी–के साथ नियमित रूप से मेलजोल बनाए रखना जिससे उन्हें मातृ स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील किया जा सके और उन्हें जमीनी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, गर्भवति तथा

स्वशासन और महिलाएं : पिछले दो वर्षो में प्रिया ने स्थानीय प्रशासन को ग्राम सभाओं अथवा महिला विशेष के लिए ग्राम पंचायत के स्तर पर महिला सभा के आयोजन में सहयोग दिया। प्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनिवार्य ग्राम सभाओं के संपन्न होने से पहले सभी हस्तक्षेप के क्षेत्रों में महिला सभाओं का निश्चित रूप से आयोजन किया जाए। हमारे प्रयासों के कारण ही, दो वर्षो में सभी 104 ग्राम पंचायतों में महिला सभाओं का आयोजन किया गया जिसमें 1,119 महिलाओं ने पहली बार ऐसी सभाओं में अपनी सहभागिता निभाई।

महिला सभा आयोजित करने के लिए समुदाय, पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों, ब्लॉक स्तर तथा पंचायत के अधिकारियों तथा जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ सघन रूप से जुड़ाव बनाने की जरूरत है। इसके लिए एक बड़ा अभियान छेड़ना भी जरूरी है जिससे इन सभी लोगों को एकजुट किया जा सके और महिला सभा के उपरांत की गई कार्यवाईयों की जा सके।

महिला सभा का कैसे आयोजन करें–इस संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित साइट पर जाकर पढ़ें : https://pria.org/knowledge_resource/1564115810_How%20to%20conduct%20Mahila%20Sabhas_Hindi.pdf

स्तनपान कराने वाली महिलाओं के साथ मेलजोल के जरिए प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जा सके।

- ग्राम सभा के लिए समुदाय को तैयार करने की एक पद्धति के रूप में महिला सभा तथा रात्रि चौपाल को फैसिलिटेट करना।

पारंपरिक तरीके से लोगो तक सूचना पहुचाना : आगामी ग्राम सभा के बारे में लोगों को बताने के लिए 'ढोल' का उपयोग करते हुए प्रिया के स्वयंसेवी

महिला सभा के लिए महिलाओं को एकत्र करके बैठक करते हुए

एक सहभागी GPDP

प्रिया के फील्ड के उत्प्रेरक विषेश ग्राम सभा के बारे में जानकारी का प्रचार–प्रसार करते हुए

एक विशेष ग्राम सभा की बैठक में वर्ष 2019–20 का GPDP तैयार किया गया। इस ग्राम सभा को आयोजित करने का आदेश राज्य द्वारा पारित किया गया था और हस्तक्षेप के क्षेत्रों में 24 से 29 दिसम्बर 2018 के बीच इन सभाओं का आयोजन किया गया। इस आदेश के अनुसार, पंचायत द्वारा 31 दिसम्बर तक इन योजनाओं को पेश करना था और उसके बाद फरवरी 2019 तक इसमें संशोधन किया जा सकता था। यह आदेश अल्प समय के नोटिस से दिया गया। यह ज्ञात होते ही प्रिया द्वारा ऐसी रणनीति बनाई गई जिससे कि संगठित समुदायिक सदस्य, खासकर महिलाएं तथा VHSWNC तथा SJC के सदस्य स्वास्थ्य योजना का प्रारूप पेश करने के लिए इन बैठकों में उपस्थित हों। प्रिया ने ज़मीनी कार्यकर्ताओं तथा स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से एक सप्ताह के लिए लामबंदी अभियान छेड़ा। हालांकि प्रिया का इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ाव लगभग एक वर्ष पहले से ही शुरू हो चुका था जिसका स्वरूप इस प्रकार से है :

- ग्राम स्तरीय अनौपचारिक बैठकें
- राज्य स्तरीय पैरवी की बैठकें
- पंचायत स्तरीय समितियों तथा सभाओं (VHSWNC तथा SJC, वार्ड सभा, महिला सभा) को सक्रिय करना
- प्रिया के फील्ड समन्वयक तथा स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को जीपीडीपी के तकनीकी सहयोग समूह का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना

सहभागी जीपीडीपी तैयार करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए कृपया इस लिंक में जाएं : https://pria.org/knowledge_resource/1564405193_Participatory%20GPDP_Hindi.pdf

'अपना स्वास्थ्य, अपनी पहल' के जरिए प्रिया ने न केवल मातृत्व स्वास्थ्य की देखरेख पर बल्कि समुदायिक स्वास्थ्य तथा इसकी देखरेख के तरीकों पर लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया। इस दस्तावेज में इन्हीं मुद्दों पर लोगों में रूचि जगाने का प्रयास किया गया है, इस उद्देश्य के साथ कि पूरे देश में ऐसे प्रयास को दोहराया जाएगा और इससे सकारात्मक बदलाव आएगा ताकि आने वाले समय में भारत में स्वास्थ्य, खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा।

आउटरीच डैशबोर्ड* (अप्रैल 2017–मार्च 2019)

प्रशिक्षण कार्यक्रम व कार्यशालाएं		
महिलाएं : 588	पुरूष : 1500	कुल : 2088

समुदाय स्तर की बैठकें (फोकस समूह चर्चा, रात्रि चौपाल, महिला समूह की बैठकें)		
महिलाएं : 7014	पुरूष : 4060	कुल : 11014

पंचायत स्तरीय समितियों की बैठकें		
महिलाएं : 493	पुरूष : 1858	कुल : 2351

फील्ड की सीखों का आदान–प्रदान करने के लिए ब्लॉक तथा जिला स्तरीय बैठकें		
महिलाएं : 45	पुरूष : 338	कुल : 383

* इन आंकड़ों की प्रत्यक्ष लाभांशियों के लिए गणना की गई है और सभी लाभांशियों की सिर्फ एक बार गणना की गई है जिससे आंकड़ों को दोहराया न जाए।

इस संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों को पढ़ने की सिफारिश की जाती है :

1. ओकेज़नल पेपर : ग्राम सभा मोबलाइजेशन (सोसायटी फॉर पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया, 2005)
2. ओकेज़नल पेपर : कैपेसिटी बिल्डिंग इन पंचायत (सोसाइटी फॉर पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया, 2018)
3. रिपोर्ट : रात्रि चौपाल (पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया, 2019)

Notes

यह दस्तावेज 'अपना स्वास्थ्य, अपनी पहल' परियोजना के तहत प्रकाशित किया गया है, जिसका क्रियान्वयन प्रिया (2017–2020) द्वारा किया जा रहा है। जिसमें दसरा तथा अज़ीम प्रेमजी फिलेन्थ्रोपिक इनीशियेटिव्ज़ (एपीपीआई) से सहयोग प्राप्त है।

© 2019 प्रिया। इस मसौदे का गैर–व्यापारिक उद्देश्य से उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते प्रिया को इसका श्रेय दिया जाए। उपरोक्त उद्देश्य के लिए कृपया प्रिया से संपर्क करें library@pria.org

प्रिया (2019), सामूहिक प्रयास, सतत् अभ्यास मातृत्व स्वास्थ्य को पंचायत के एजेंडा में लाना, नई दिल्ली प्रिया

पार्टीसिपेटरी रिसर्च इन एशिया
42, तुग़लकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली - 110062
फोनः +91-011-29960931/32/33
वेबः www.pria.org